



सूर प्रशासन एक समीक्षात्मक अध्ययन

हरीश कुमार

उपाचार्य- इतिहास विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, सलेमपुर-देवरिया (उ०प्र०), भारत

Received- 29.08.2018, Revised- 04.09.2018, Accepted - 07.09.2018 E-mail: aaryavart2013@gmail.com

सारांश : शेरशाह का प्रशासन मध्यकाल का सर्वोत्तम शासन व्यवस्था था। डॉ० कानूनगो ने नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार, शेरशाह में स्वयं अकबर से अधिक प्रतिभा थी, डॉ० त्रिपाठी और डॉ० सरन के अनुसार, शेरशाह एक सुधारक था न किसी नवीन पद्धति को प्रचलित करने वाला था। कहा जाता है कि कई दिशाओं में उसने केवल अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुर्नजीवित किया था अन्यथा जो कुछ उसने किया उसमें मौलिकता का अभाव था।

कुंजी शब्द – प्रशासन, मध्यकाल, सर्वोत्तम, शासन, व्यवस्था, प्रतिपादन, प्रतिभा, प्रचलित, पुर्नजीवित ।

शेरशाह का प्रबंध उसी प्रकार का था जैसा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का था, शासक प्रमुख था, सभी शक्तियाँ निहित थी। सभी प्रशासनिक विधायी न्याय एवं सेना का प्रमुख था, लेकिन वह एक कुशल शासक था जिसने शासन के सभी भागों पर नियंत्रण रखता था। उसमें कर्तव्य के प्रति गहरा लगाव था, वह असाधारण ऊर्जा से ओत-प्रोत था और अपनी दिनचर्या में से अधिकांश समय राजकाज की देखरेख में लगाता था। विन्सेंट स्मिथ मानते हैं कि यदि उसे अधिक समय मिला होता तो हो सकता है कि उसने अपना राजवंश स्थापित कर दिया होता, तब भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगलों को अवतरित होने का अवसर न मिलता।

शेरशाह का राज्य केन्द्रीकृत निरंकुशता का था, जिसमें अफगान परंपराओं के दर्शन तो होते हैं किंतु तुर्की विशेषताओं वाले ही थे। वह अफगानों के प्रति घोर पक्षपाती था। युवा फरीद के रूप में उसने पिता की जागीर के रूप में जो अनुभव प्राप्त किया था, वह उसी कि परिणति थी। कानूनगो शायद इस तथ्य में विश्वास रखते थे कि शेरशाह के समय में सरकार बड़ी इकाई थी। प्रांतीय शासन में बंगाल एक आदर्श नमूना था। उसने बंगाल को उन्नीस उप-प्रभागों में बाँटा था, लेकिन कुछ स्थानों पर प्रांतीय गवर्नर बनाये गये लेकिन आवश्यकताओं के आधार पर। बंगाल विभाजन के दो उद्देश्य थे :-

- (1) बंगाल केन्द्र से दूर था, संसाधनों की बहुतायत होने के कारण गवर्नर शासक के खिलाफ आंदोलन कर देते थे।
- (2) अफगान सरदारों को संतुष्ट करने का इससे सहज उपाय नहीं था।

अपने आंतरिक रोजमर्रा के प्रशासन के मामले में प्रत्येक सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र थे, लेकिन काजी फजीहत को 'अमीन-ए-बंगाल' नियुक्त किया। राज्य को बाँटने के बाद भी अमीन को प्रमुख बनाना शेरशाह की दूरदर्शिता थी। प्रांतों के शीर्षस्थ अधिकारी कही हकीम, कही अमीन या

फौजदार कहलाते थे। इसमें प्रांत की सीमा के हिसाब से सेना रखना था। पंजाब के हैबत खॉ को एक लाख सेना रखना था जबकि अजमेर को सिर्फ 26,000 की सेना मंजूर थी।

उप प्रभागों को इक्ता कहा जाता था। इक्ते भी सरकारों, परगनों में बाँटे हुए थे। सरकार के स्तर पर शिकदर-ए-शिकदरान और मुंसिफ-ए-मुंसिफान होते थे। शिकदर का काम सैन्य योग्यता, कानून एवं व्यवस्था देखना था। उसके नीचे मुकदम होते थे। मुंसिफ का काम मालगुजारी वसूलना और उसका हिसाब किताब रखना था। प्रत्येक परगने में शिकदर, मुंसिफ के साथ एक कारकून रहता था। एक कानूनगो भी होता था, जो शासन को परगने के हालात से वाकिफ कराता था। गाँ की जमीन पैमाइस करने के लिए अमीन की नियुक्ति होती थी।

प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी जिसमें एक पटवार और मुकदम होता था। पटवारी का काम किसानों एवं जोत के बारे में अभिलेख रखना था। जबकि मुकदम जनता से राजस्व एकत्र करता था। शेरशाह न्याय को दृढ़ता एवं निष्पक्षता से लागू करता था उसने सुल्ताननुल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। सभी मामले शासक की न्यायालय में पहुँचते थे। सभी प्रकार के मामलों के दंड सुनिश्चित थे। उसका फौजी प्रशासन और भी कारगर था। घोड़ों को दागने की प्रथा बारहवीं शताब्दी में सल्तुक् ने शुरू की थी, किंतु शेरशाह से पहले किसी ने लागू किया, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। सभी को वेतन राज्य से मिलता था। कमांडर को जागीर दी जाती थी। शेरशाह एक महान भवन निर्माता एवं मार्ग निर्माता था। उसके द्वारा बनायी गयी चार बड़ी सड़कें प्रमुख हैं :-

- (1) प्रथम – बंगाल के सोनारगांव से शुरू होकर सिंध नदी तक।
- (2) दूसरा – आगरा से माडूँ तक।
- (3) तीसरा – आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक।



(4) चतुर्थ – लाहौर से मुल्तान तक।

उसने सड़कों के दोनों ओर फलदार वृक्ष लगवाए एवम् 1700 सरायें बनवाई। जहाँ हिंदू और मुसलमानों के अलग-अलग खाने-पीने एवं ठहरने की व्यवस्था थी। वहाँ घोड़े-दुधारू पशुओं के लिए चारे एवं दाने मिलते थे, शांति स्थापना के लिए पुलिस रहती थी। उसने सिक्कों की ढलाई में भी सुधार किए। दो प्रकार के सिक्के प्रमुख थे। चाँदी का रूपया 178 ग्रेन का था तथा तौबे का दाम 380 ग्रेन था। उसने टकसालों की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी। सिक्कों शेरशाह का नाम एवं टाइल लिखे गये।

शिक्षा के प्रसार हेतु मस्जिद से एक मकतब जोड़ दिया गया, जहाँ पर प्रारम्भिक शिक्षा एवं अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना की गयी थी। इन संस्थाओं को सरकारी ग्रांट मिलती थी तथा अच्छे छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी।

शेरशाह ने प्रवेश के स्थान एवं विक्री के स्थान पर लगने वाले दो शुल्कों को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी शुल्क हटा दिए गए। इससे वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला।

इसकीन के अनुसार – “अकबर से पूर्व किसी भी अन्य राजा में शेरशाह जैसी भावना एवं प्रजा संरक्षकता नहीं देखी गयी।”

कीने के अनुसार – “इस पठान जैसी सुबुद्धि का

परिचय किसी अन्य सरकार ने तो क्या अंग्रेजों ने भी नहीं दिया।”

वाक्यांते मुश्ताकी में लिखा है कि शेरशाह हर समय शासन प्रबंध में लीन रहता था, सारी रात वह परिश्रम करता था, प्रातः कालीन ही सूचना देने के लिए बुलाता था एवं प्रशासन के लिए निर्देश देता था, उसकी आज्ञाओं को लिखकर भेजा जाता था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शेरवानी, अस्वाक खान, (1650) – तारीख-ए-शेरशाही।
2. इलियट, सर एच. एम., (2010) एकाउण्ट आफ दी रीजन आफ शेरशाह।
3. चौरसिया, राधे श्याम, (2002) – हिस्ट्री आफ मेडिवल इंडिया (1000-1707).
4. सिंह, सरीना लिण्डसे ब्राउन, पाल क्लैमर – पाकिस्तान एवं कारकोरम हाइवे (2008).
5. ग्रीनवर्गर, राबर्ट, (2003) दी हिस्टोरिकल एटलस आफ पाकिस्तान।
6. सटेनले, लेनपूल, (2007) मेडिवल इंडिया अण्डर मोहम्मडन रूल।
